भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:1324

06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता

1324. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन के बाद देश में कितने चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है;
(ख) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना के बाद राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;
(ग) क्या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना के समय से ही योग को चिकित्सा शिक्षा में शामिल किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के 596 से बढ़कर वर्तमान में 818 हो गई है। इसके अतिरिक्त, स्नातक (यूजी) सीटों की संख्या शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के 88,120 के बढ़कर अब 1,28,976 हो गई है, जबकि इस अवधि के दौरान स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या 55,595 से बढ़कर 85,020 हो गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा जारी न्यूनतम मानक आवश्यकताएं (एमएसआर) विनियम, 2023 में चिकित्सा संस्थानों में योग विभाग की स्थापना का प्रावधान है। योग को एमबीबीएस के लिए योग्यता आधारित चिकित्सा शिक्षा (सीबीएमई) दिशानिर्देश 2024 में एक योग्यता के रूप में शामिल किया गया है, और चिकित्सा संस्थानों को छात्रों, पेशेवरों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को योग के लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए योग दिवस में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है।

*****